सं.ई.11014/1/2024-रा.भा.
भारत सरकार/Govt. of India
नागर विमानन मंत्रालय/Ministry of Civil Aviation
राजभाषा प्रभाग/Official Language Division

दिनांक: 24 जून, 2024

<u>कार्यालय आदेश</u>

विषय: राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों द्वारा हिंदी में कार्य करने के लिए व्यक्तिश: आदेश।

नागर विमानन मंत्रालय, दिनांक 07.09.1978 से राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचित है। अधिसूचित कार्यालयों में कार्यरत, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचरियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना समस्त सरकारी कामकाज हिंदी में करें। तदनुसार, मंत्रालय में कार्यरत हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचरियों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत एतदद्वारा यह आदेश दिया जाता है कि आप निम्नलिखित विभागीय कार्यों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग करें :-

(क) 'क' तथा 'ख' क्षेत्र की राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन और इन क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों और गैर सरकारी व्यक्तियों को सभी पत्र हिंदी में भेजे जाएं और संबंधित टिप्पणियां भी हिंदी में लिखी जाएं।

(ख) हिंदी में प्राप्त सभी पत्रादि के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं।

(ग) किसी कर्मचारी द्वारा हिंदी में लिखे गए या हस्ताक्षर किए गए आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर, हिंदी में दिया जाए।

पीयूष श्रीवास्तव
(पीयूष श्रीवास्तव)
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

सेवा में,

श्री रवि राज,
अनुभाग अधिकारी